

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड



क्षेत्ररक्षक
सीधी भर्ती हेतु नियम, शर्तें एवं
चयन प्रक्रिया 2021

परीक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक अर्हता,
शारीरिक मापदण्ड, आयु सीमा, पाठ्यक्रम

कार्यकारी निदेशिका
छत्तीसगढ़ वन विकास निगम लिमिटेड
नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
क्षेत्ररक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती नियम एवं चयन प्रक्रिया

संभावित परीक्षा कार्यक्रम

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि - 10.11.2021 (बुधवार)
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि - 02.12.2021 (गुरुवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3. त्रुटि सुधार - 03 से 05 दिसम्बर 2021
4. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि - 10.12.2021 (शुक्रवार)
5. परीक्षा की तिथि (संभावित) - 19 दिसम्बर 2021 (रविवार)

क्षेत्ररक्षक पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :-

विहित शैक्षणिक अर्हताएँ	
उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हायर सेकेंडरी (10+2) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए।	

क्षेत्ररक्षक पद हेतु आवश्यक शारीरिक मापदण्ड (न्यूनतम):-

		पुरुष	महिला
(एक)	ऊँचाई (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग)	163 से.मी.	150 से.मी.
(दो)	ऊँचाई (अनुसूचित जनजाति)	152 से.मी.	145 से.मी.
(तीन)	सीना	79 से.मी.	74 से.मी.
(चार)	न्यूनतम सीना विस्तार	5 से.मी.	5 से.मी.

शारीरिक मापदण्ड/नापजोख के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 5 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे शारीरिक मापदण्ड/नापजोख के लिए पात्र होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक मापदण्ड/नापजोख में पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा, जो कुल 100 अंको का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी:-

- क. 200 मीटर दौड़ - 25 अंक
- ख. 800 मीटर दौड़ - 25 अंक
- ग. लंबी कूद - 25 अंक
- घ. गोला फेंक - 25 अंक

आईटम 'क' से 'घ' तक की स्पर्धा के लिए दिये जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

प्रतिस्पर्धा	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	समय/नाप	अंक	समय/नाप	अंक
200 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	24.50 सेकण्ड या कम	25	28.50 सेकण्ड या कम	25
	25.50 सेकण्ड तक	20	30.00 सेकण्ड तक	20
	27.00 सेकण्ड तक	15	31.50 सेकण्ड तक	15
	28.50 सेकण्ड तक	10	33.00 सेकण्ड तक	10
	30.00 सेकण्ड तक	5	34.50 सेकण्ड तक	5
	30 सेकण्ड से अधिक	0	34.50 सेकण्ड से अधिक	0
800 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	2 मिनट 10 सेकण्ड या कम	25	3 मिनट या कम	25
	2 मिनट 20 सेकण्ड तक	20	3 मिनट 10 सेकण्ड तक	20
	2 मिनट 30 सेकण्ड तक	15	3 मिनट 25 सेकण्ड तक	15
	2 मिनट 45 सेकण्ड तक	10	3 मिनट 40 सेकण्ड तक	10
	3 मिनट तक	5	4 मिनट तक	5
	3 मिनट से अधिक	0	4 मिनट से अधिक	0
लंबी कूद	5.50 मीटर या अधिक	25	4.25 मीटर या अधिक	25
	5.25 मीटर तक	20	4 मीटर तक	20
	4.75 मीटर तक	15	3.50 मीटर तक	15
	4.25 मीटर तक	10	3 मीटर तक	10
	3.75 मीटर तक	5	2.50 मीटर तक	5
	3.75 मीटर से कम	0	2.50 मीटर से कम	0
गोला फेंक गोले का वजन पुरुष-7.62 किलो महिला-4 किलो	9 मीटर या अधिक	25	8 मीटर या अधिक	25
	8 मीटर तक	20	7 मीटर तक	20
	7 मीटर तक	15	6 मीटर तक	15
	6 मीटर तक	10	5 मीटर तक	10
	5 मीटर तक	5	4 मीटर तक	5
	5 मीटर से कम	0	4 मीटर से कम	0

कार्यकारी संचालक
छ.रा.व.वि.नि.लि.मि.
नया रायपुर

पैदल चालन परीक्षा:-

शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होगी। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चालन निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य होगा। पैदल चालन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जाएगा।

बोनस अंक

क्षेत्ररक्षक पद के उम्मीदवार को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिए जायेंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे।

- क. एन.सी.सी. का 'सी' सर्टिफिकेट का न्यूनतम बी-ग्रेड का प्रमाण पत्र धारी।
- ख. राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता- केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, कि
- (i) टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उप विजेता एवं
- (ii) व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी।

चयन सूची:-

क्षेत्ररक्षक के सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्राविण्यता सूची:-

(i) व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा	150 अंक
(ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा	100 अंक
(iii) बोनस अंक	10 अंक

के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार तैयार किया जाएगा।

क्षेत्ररक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

(अ) चयन प्रक्रिया - विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

- (i) उम्मीदवार का चयन व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन के माध्यम से किया जावेगा।
- (ii) शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग पांच गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
- (iii) उम्मीदवार का चयन व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(ब) महत्वपूर्ण निर्देश -

- (i) व्यापम स्तर पर ऑनलाईन आवेदन लिया जाकर लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी तत्पश्चात् विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 5 गुनी उम्मीदवारों की सूची शारीरिक मापदण्ड/नापजोख के लिए वन विकास निगम को प्रेषित की जायेगी।
- (ii) शारीरिक मापदण्ड/नापजोख परीक्षा वन विकास निगम द्वारा आयोजित की जावेगी एवं शारीरिक नापजोख में पात्र एवं अपात्र तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक एवं बोनस अंको की जानकारी व्यापम को प्रेषित की जायेगी।
- (iii) व्यापम द्वारा अंतिम मेरिट सूची जारी की जावेगी तथा अंतिम मेरिट सूची की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. को प्रेषित की जायेगी।
- (iv) प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- (v) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिये आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रप्रेषित (Carryforward) नहीं किये जायेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है।
- (vi) पद भरने या नहीं भरने या विज्ञापन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. का होगा।

सचिव, वन विभाग
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि.
रायपुर

निर्धारित आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (iii) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण - "छंटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है, जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवानुवृत्त किया गया हो।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर दिनांक 11.01.2007 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिये उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।
- (vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं, को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

कार्यकारी पंचायतक
कार्यकारी पंचायतक
नया रायपुर

महत्वपूर्ण टीप:

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे- छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 - (ii) आयु की गणना दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में की जाएगी।
 - (iii) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किये गये हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो नियमित शासकीय सेवा में हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिक को देय छूट का लाभ देय नहीं होगा। यदि ऐसे उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी को लागू अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान लागू होंगे।
- टीप:- (i) भूतपूर्व सैनिक = Army/Navy/Air Force
(i) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

परिवीक्षा अवधि -

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी तथा नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जायेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना :-

शारीरिक दक्षता के पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिए सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा- हायर सेकेंडरी (10+2) स्कूल सर्टिफिकेट/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र मण्डल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

जाति प्रमाण पत्र :-

- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमिलेयर के आधार पर ही देय हैं। गैर क्रीमिलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमिलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में वांछित छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

कार्यकारी सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा
रायपुर

नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं परंतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे मण्डल को भेजने के लिए निवेदन करते हुये आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुये इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को निगम द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व नियोक्ता प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हो, तो ऐसी स्थिति में उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा तो लिया जाएगा, परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षा पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए मण्डल/निगम के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आपराधिक अभियोजन :-

- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे मण्डल/निगम ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो :-
 - (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
 - (ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
 - (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो या
 - (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो, जिनमें फेरबदल किया हो, या
 - (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
 - (vi) परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
 - (vii) परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो या
 - (viii) परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या
 - (ix) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
 - (x) परीक्षा कक्ष में या शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
 - (xi) छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :-
 - (i) मंडल द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी, और/या
 - (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा -
 - (a) मण्डल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - (b) निगम द्वारा नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और
 - (c) यदि वह शासन/निगम के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,परंतु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि -
 - (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 - (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

छत्तीसगढ़ शासन
मंडल परीक्षा विभाग
भुवनेश्वर

अनर्हता :-

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवा नियमावली 1984 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परंतु यदि निगम को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परंतु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

कार्यकारी सचिव
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा
छत्तीसगढ़